न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—221/2018
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—53 आरटीए

1 बुधराम
2 महावीर प्रसाद } पि.जोतराम जाति जाट निवासी नाथवाना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
3 महेन्द्र कुमार

वादी

बनाम्

1 इन्द्रसिह पुत्र श्री नन्दसिह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2 भागसिह पुत्र मलसिह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे.शाखा संगरिया।
4 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री बलवीर स्याग अधिवक्ता—वादीगण

निर्णय दिनांक :— 04.09.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित है। वादीगण के नाम से चक 9 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 49/40 के सम्वत 2069—72 में वादीगण के नाम से 2.997 है. कृषि भूमि दर्ज जमाबन्दी है व उक्त कृषि भूमि का कब्जा वादी के पास है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि दावा के साथ संलग्न है।वादीगण ने बनवारी लाल भागीरथ के हिस्सा में 3.036 है. कृषि भूमि थी जिसमें वादीगण ने 1.998 है व बाद में 0.999 है. इस प्रकार कुल 2.997 है. खरीद की थी व कब्जा उसी समय लेकर अपने इन्तकाल करवा लिया था जिसकी जमाबन्दी बन गयी थी। जिसका वादी खाता तकसीम करवाने का अधिकारी एव दावेदार है। वादीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः— चक नं. 9 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 49/40 पं.नं. 159/178 मु.नं. 47 किला नं. 13,14/0.506 है. 16/0.228 है. 17,18,23,24/0.253 है. प्रे. 25/0.228 है. पं.नं. 159/179 मु.नं. 49 किला नं. 4,5/0.456 है. गै.मु. कृषि भूमि 2.936 है. गै.मु. 0.061 है. कुल 2.997 है. वादीगण ने कई दफा प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि रकमराज व सींव बट का आपस में झगड़ा होता रहता है। इसलिए हमारे खाते अलग अलग करवा लेवे लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पहले तो टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट् इन्कार कर दिया, उपरोक्त कृषि भूमि शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही है। इसलिए वादीगण अपनी कृषि भूमि का खाता अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की तलबी साधारण सम्मन व समाचार पत्र

से करवाई गई। उक्त प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी बिट्टूसिंह शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 बुधराम पुत्र श्री जोतराम शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है एवं प्रकरण में कोई विरोधाभास नहीं होने के कारण वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। लेकिन अपने कब्जा काश्त के समर्थन मे कोई साक्ष्य पेश नहीं किये। न्यायालय के मत में वादग्रस्त खाता के सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में तहसीलदार राजस्व संगरिया से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 सहकाश्तकारों के नाम से दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 ने जवाब स्टेट पेश किया प्रकरण में कोई विरोधा–भास नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण द्वारा खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है एवं मौका पर कब्जा काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। तथा प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने व भूमि में सह–खातेदार होने के कारण इनके हित को ध्यान में रखते हुए वादीगण के वादपत्र में तहसीलदार संगरिया से समस्त सह–काश्तकारों के हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी –मन्दी, खाला,रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त सहकाश्तकारों का विभाजन प्रस्ताव समस्त पक्षकारो की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट मय प्रमाणित नजरी नक्शा मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि समस्त काश्कारों की उपस्थिति में विधि सम्मत सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर चक नं. 9 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 49/40 खाता बुधराम वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के समस्त सह–काश्तकारों के हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी–मन्दी, खाला,रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त सहकाश्तकारों का विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा गिरदावर व स्वयं के हस्ताक्षरित कर अपनी अनुशंषा सहित रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार राजस्व संगरिया को अलग से लिखा जावे। प्राथमिक पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–221/2018

1 बुधराम
2 महावीर प्रसाद } पि.जोतराम जाति जाट निवासी नाथवाना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
3 महेन्द्र कुमार

वादी

बनाम्

1 इन्द्रसिह पुत्र श्री नन्दसिह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2 भागसिह पुत्र मलसिह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे.शाखा संगरिया।
4 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री बलवीर स्याग वादी मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण.........................मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं वाद वादी में प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि चक नं. 9 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 49/40 खाता बुधराम वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के समस्त सह–काश्तकारो के हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मंदी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार संगरिया विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयारकर आगामी दिनांक...........................को पेश हो।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 04.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

अपवादित खाता
शिविर संगरिया

मूल वाद में अन्तिम डिक्री बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 221 / 2018

1 बुधराम
2 महावीर प्रसाद } पि.जोतराम जाति जाट निवासी नाथवाना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
3 महेन्द्र कुमार

वादी

बनाम्

1 इन्द्रसिह पुत्र श्री नन्दसिह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2 भागसिह पुत्र मलसिह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे.शाखा संगरिया।
4 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री बलवीर स्याग वकील वादी मिन जामिन मुदई .... वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिग्री दी जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदे ा दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक 3917 दिनांक 03.10.2019 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आव यक भाग रहेगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन बदस्तुर रखते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....................मुब्लिक....................बाबत....................खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक....................को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

अपवादित खाता निस्तारण
शिविर संगरिया

मूल वाद में अन्तिम डिक्री बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 221 / 2018

1 बुधराम
2 महावीर प्रसाद } पि.जोतराम जाति जाट निवासी नाथवाना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
3 महेन्द्र कुमार

वादी

बनाम्

1 इन्द्रसिह पुत्र श्री नन्दसिह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2 भागसिह पुत्र मलसिह जाति जटसिख निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3 शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे.शाखा संगरिया।
4 तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री बलवीर स्याग वकील वादी मिन जामिन मुदई .... वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिग्री दी जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदे ा दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक 3917 दिनांक 03.10.2019 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आव यक भाग रहेगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन बदस्तुर रखते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....................मुब्लिक.....................बाबत.....................खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....................को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.10.2019 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh
Ratnu
Date: 2019.11.27 11:21:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: